बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–5 न0वि0/निर्वा–06/2016–1423/न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांकः–25/3/2020

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 602 दिनांक 24.03.2020 द्वारा नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं उसके पश्चात् मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि 30.03.2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 31.03.2020 तक राज्य में घोषित लॉक डाउन के आलोक में उक्त नगर पंचायतों के निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण एवं मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद के निर्वाचन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

2. चूँकि नगर पंचायत नौबतपुर एवं बिक्रम का पाँच वर्ष के उपरांत अवसान की तिथि दिनांक 29.03.2020 को पूर्ण हो जायेगी, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के तहत दिनांक 30.03.2020 के प्रभाव से उक्त अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उक्त नगरपालिकाओं में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5 न0वि0/निर्वा–06/2016– /न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, गजट शाखा, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5 न0वि0/निर्वा–06/2016–1423 /न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांकः–25/3/2020

प्रतिलिपिः–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका), पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत नौबतपुर/बिक्रम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/3/2020
सरकार के उप सचिव।